



प्रेषक,

सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2020

विषय: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु० 163,18,63,724.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक, पिकप के पत्र संख्या- पिकप/आईआईआईपी-2012/मेगा/2289 दिनांक 18-03-2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि रु० 163,18,63,724.00 (रूपये एक सौ तिरसठ करोड़ अठ्ठारह लाख तिरसठ हजार सात सौ चौबीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत 05 पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि रु० 163,18,63,724.00 (रूपये एक सौ तिरसठ करोड़ अठ्ठारह लाख तिरसठ हजार सात सौ चौबीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पिकप द्वारा उपलब्ध कराये गये लाभार्थी कम्पनियों एवं पिकप के खाते में सीधे एन०ई०एफ०टी०/ आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। लाभार्थी कम्पनियों का विवरण निम्नवत् है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र. सं.	औद्योगिक इकाई/ कम्पनी	मांग की गयी धनराशि (रू0में)	आवंटित धनराशि (रू0में)	इकाईयों का वितरित की जाने वाली धनराशि (रू0में)	नोडल एजेन्सी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की राशि(रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर	21,04,82,480.00	21,04,82,480.00	20,83,77,655.00	21,04,825.00
2	मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0लि0(पूर्व में मेसर्स रिलायंस सीमेंट प्रा0लि0) रायबरेली।	58,80,63,245.00	58,80,63,245.00	58,21,82,613.00	58,80,632;00
3	मेसर्स वरुण बेवरेजस लि0, सण्डीला, हरदोई।	48,23,43,135.00	48,23,43,135.00	47,75,19,704.00	48,23,431.00
4	मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0, मेरठ।	1,70,35,354.00	1,70,35,354.00	1,68,65,000.00	1,70,354.00
5	मेसर्स गैलेण्ट इस्पात लि0 गोरखपुर।	33,39,39,510.00	33,39,39,510.00	33,06,00,115.00	33,39,395.00
	कुल योग	163,18,63,724.00	163,18,63,724.00	161,55,45,087.00	1,63,18,637.00
कुल धनराशि (5+6)-				रू. 163,18,63,724.00	
(रूपये एक सौ तिरसठ करोड़ अठ्ठारह लाख तिरसठ हजार सात सौ चौबीस मात्र)					

- (2) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- (3) तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गयी धनराशि उक्त लाभार्थी कंपनियों के बैंक खातों में अन्तरित की जायेगी जिसका विवरण संलग्नक-1 पर है। उक्त स्तम्भ-6 में दर्शाई गई धनराशि कुल योग रु0 1,63,18,637.00 (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख अठ्ठारह हजार छः सौ सैतीस मात्र) पिकप के बैंक खाते में संलग्नक-2 के विवरण अनुसार प्रशासनिक व्यय के रूप में हस्तान्तरित की जायेगी।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
- (5) किसी भी दशा में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (7) धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (8) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य (क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।
- 4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या-ई-6-235/दस-2020 दिनांक 25-03-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-08/2020/937(1)/77-6-20-5(बजट)/17तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक पिकप, लखनऊ को पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आईआईआईपी-2012/मेगा/2289 दिनांक 18-03-2020 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0 शासन।
- 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
- 10- नियोजन अनुभाग-1/4
- 11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।